



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1149]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2006/आश्विन 7, 1928

No. 1149]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2006/ASVINA 7, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2006

New Delhi, the 29th September, 2006

का.आ. 1639(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की भाग 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

S.O. 1639(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 671 (E), dated the 30th September, 1996, namely:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में "दस वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "दस वर्ष छह महीने" शब्द रखे जाएंगे।

In the said notification, in paragraph 1, for the words "for a period of ten years", the words "for a period of ten years and six months" shall be substituted.

[फा. सं. जैड-20018/4/2002-सीपीए]

[F. No. Z-20018/4/2002-CPA]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

R. K. VAISH, Jt. Secy.

**टिप्पणी :-**अधिसूचना तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकीय क्षति (निवारण एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान) प्राधिकरण का गठन करने हेतु भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना संख्या का.आ. 710(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 1996; का.आ. 590(अ), तारीख 15 जुलाई, 1998; का.आ. 823(अ), तारीख 16 सितम्बर, 1998; का.आ. 621(अ), तारीख 2 अगस्त, 1999; का.आ. 972(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2001; का.आ. 130(अ), तारीख 28 जनवरी, 2002; का.आ. 348(अ), तारीख 28 मार्च, 2002; का.आ. 1044(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2002; का.आ. 1063(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2004 और का.आ. 1432(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा संशोधित किया गया।

**Note :-**The notification constituting the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu, was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* numbers S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996 and subsequently amended *vide* S.O. 710(E), dated the 12th October, 1996; S.O. 590 (E), dated the 15th July, 1998; S.O. 823(E), dated the 16th September, 1998; S.O. 621(E), dated the 2nd August, 1999; S.O. 972(E), dated the 28th September, 2001; S.O. 130(E), dated the 28th January, 2002; S.O. 348(E), dated the 28th March, 2002; S.O. 1044(E), dated the 27th September, 2002; S.O. 1063(E), dated the 29th September, 2004 and S.O. 1432(E) dated the 31st December, 2004.